



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या- 2261/2026

फैजान

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आशुतोष मिश्रा, रमेश कुमार मिश्रा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विवेक सिंह

न्यायालय संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता., श्री विवेक सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
- इस रिट याचिका में दिनांक 13.12.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है, जिससे भा0 न्या0 सं0 2023 की धारा 191(2), 191(3), 352, 333, 109(1), 115(2), 324(4), 351(3) के तहत मामला अपराध संख्या 558/2025 उत्पन्न हुआ है, पुलिस स्टेशन-भोजपुर, जिला-मुरादाबाद।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत का अपराध सिद्ध होता है, और अतः याचिकाकर्ता के संबंध में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।
- इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सहित सात आरोपी और 3 अज्ञात व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 3 के शोरूम में घुस गए और जान से मारने की नीयत से उन्हें लाठी और डंडे से पीटा, जिसके परिणामस्वरूप देवेंद्र के सिर पर चोट आई है और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि लगाए गए आरोपों से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत में उल्लिखित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एससीसी 779 और नेचारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 के मामलों में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 843/2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम नीरज त्यागी और अन्य के हालिया निर्णय में दिए गए कानून के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता सहित सात आरोपी और 3 अज्ञात व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 3 के शोरूम में घुस गए और जान से मारने की नीयत से उसे लाठी और डंडे से पीटा, जिसके परिणामस्वरूप देवेंद्र के सिर पर चोट आई है और उसकी चिकित्सकीय जांच की गई है, और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए और चोटों तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को देखते हुए, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।

9. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाए और उसका खारिज किया जाए।

10. इन टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का **खारिज** किया जाता है।

फरवरी 17, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”